न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 274/2018
GCMS No-2018/00375

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		1. नारायण पुत्र पेमाराम जी चौधरी मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. श्रीमति कल्पना खण्डेलवाल मैसर्स खण्डेलवाल इडस्ट्रीज एफ–170 इण्डस्ट्रीज ग्रोथ सेन्टर खारा बीकानेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :- 11.05.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अनुपस्थित होने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 09.07.2017 को दौराने गश्त मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली पर गए, जहा पर प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। प्रार्थी ने विक्रेता नारायण जी व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर आम जन की बिक्री हेतु 500–500 ग्राम के सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) के 40 पैकेट रखे हुए थे जिनमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया कि वह सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु ले रहे है। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) के चार पैकेट वास्ते जांच क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 120 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। असल प्रति पत्रावली के साथ सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) की चारो नमुना पैकेट पर तैयार किये गये, लेबल जिन पर नमुना क्रमांक आर–675 एवं नमूने का विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने स्वयं भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना पैक को नियमानुसार सीलमुहर किया गया, जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारों सीलबंद नमूना पैकेट को अपने कब्जे में लिया गया। विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) का खरीद बिल क्रमांक 2072 दिनांक 13.04.2017 मैसर्स खण्डेलवाल इडस्ट्रीज एफ–170 इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर खारा बिकानेर का बिल पेश किया। प्रार्थी द्वारा मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया एवं हस्ताक्षर करने को कहा गया। विक्रेता एवं गवाहान ने पढकर, सुनकर समझकर एंव सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच कर अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से लिया गया नमुना खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

ऊँ नमों) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 10.07.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एंव मेरे स्वंय के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर मे दिनांक 10.07.2017 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति प्रार्थना पत्र के सलंग्न है। प्रार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/9713–14 दिनांक 01.08.2017 एवं जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/642/एक्ट/2017/641 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा मालूम हुआ की अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) नमुना क्रमांक आर–675 का नमुना Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 पाया गया है जिसकी सुचना अप्रार्थी संख्या 01 को दे दी गई है जिसके संबध में विक्रेता द्वारा नमुने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली से लिया गया नमुना कोड आर–675 नमुना खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) जो Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 स्तर का पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने वक्त बहस एवं लिखित जवाब पेश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली से लिया गया खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) का नमुना लेने हेतु कि गयी प्रक्रिया नियमानुसार नही है। प्रार्थी द्वारा जाचं हेतु लिया गया नमुना खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) का केवल मार्केटिग व पैकिंग कर बेचते है उक्त माल नव दुर्गा रोलर एण्ड फ्लोर मिल करणी नगर औद्योगिक क्षैत्र बिकानेर द्वारा निर्मित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 वक्त बहस अनुपस्थित प्रकरण के संबध में पुर्व में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब मे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना खाद्य पदार्थ का उत्पादन नही किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा नमूना खाद्य पदार्थ जैसे उसे उत्पादनकर्ता से प्राप्त होता है वैसे ही आमजन को विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसमे किसी प्रकार का फेरबदल या मिलावट नही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमति कल्पना खण्डेलवाल मैसर्स खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज एफ 170 इण्डस्ट्रीज ग्रोथ सेन्टर खारा बीकानेर से जरिये बिल खरीद करके व्यापार कर रहा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी बनाना न्यायसंगत नही है। प्रार्थी द्वारा मौके पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। मौके पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही करवाये गये। प्रार्थी द्वारा की गई तमाम कार्यवाही में संदेह पैदा होता है। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त मानकर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को निस्तारित करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.07.2017 को दौराने गस्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली पर गया वहां प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा उनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की दुकान मैसर्स नारायण प्रोविजन स्टोर्स चिरपटिया रोड चौराहा, मारवाड जंक्शन जिला पाली से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.07.2017 को अप्रार्थी की दुकान में आमजन को विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) के चार पैकेट वास्ते जांच क्रय कर उक्त क्रयसुदा खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) को वास्ते नमुना लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–675 अंकित करके सीलबन्द कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./642/एक्ट/2017/641 दिनांक 14.07.2017 में प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) जो Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

माना गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुना कोड आर–675 में जो पता लिखा गया है जो पूर्ण पते की श्रेणी में नही आता है जो Complete Address not given Contravention of Regulation No 2.2.2(6) of Food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011 का उल्लघन है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार कि उनके द्वारा पैकेजिंग एव लेबलिंग की जाती है। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पैकेजिंग एवं लेबलिंग के नियमों का उल्लघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) का नमुना क्रमांक आर–675 लेते समय समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ सुजी (ब्राण्ड ऊँ नमों) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी 01 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 02 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र कुल 50,000/– कुल पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 11.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली